

सं/No. AAM/RTI/GM(F&A)/DIRCA/R/E/25/00080/2025-26/

दिनांक/Dated: 06/08/2025

Sh. MOHAMMED SAFI

विषय: श्री मोहम्मद सफी (DIRCA/R/E/25/00080) के ऑनलाइन आर.टी.आई आवेदन का उत्तर-बाबत।

Sub: Reply to online RTI Application of Sh. MOHAMMED SAFI (DIRCA/R/E/25/00080)- Reg.

Madam,

आपके ऑनलाइन आर.टी.आई आवेदन दिनांक 03/08/2025 के संदर्भ में, भा.वि.प्रा.चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित उपचारित पी.आई.ओ से प्राप्त जानकारी संलग्न है और तदनुसार, आर.टी.आई अनुरोध दिनांक 03/08/2025 को एतद्वारा निपटारा गया माना जाता है।

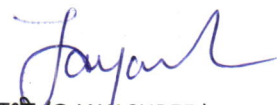
With reference to your online RTI Application dated 03/08/2025, the information sought received from the treated PIO pertaining to AAI Chennai Airport is enclosed and accordingly, the RTI Request dated 03/08/2025 is hereby treated as disposed off.

2. यदि आप जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफ.ए.ए) के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है।/ In case, you are not satisfied with the information, you may file an appeal before the First Appellate Authority (FAA) as per Section 19(1) of the RTI Act, 2005 within 30 days from the receipt of this reply, whose name and address are given below:

श्री सी वी दीपक/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/ SH C V Deepak, Airport Director/First Appellate Authority
भा.वि.प्रा.प्रचालन कार्यालय, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा/AAI, Operational Offices, Chennai Airport
मीनम्बक्कम, चेन्नई/Meenambakkam, Chennai – 600 016
(दूरभाष/Phone: 044 – 22561122) ईमेल/Email: apdchennai@aai.aero

संलग्न/Encl: यथोपरि/As Above (17 पृष्ठ/Pages)

भवदीय / Yours faithfully



(जी. जयश्री / G.JAYASHREE)

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा / GENERAL MANAGER (F&A))

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी-आर. टी. ऐ. / CPIO-RTI,

एएआई, चेन्नई एरपोर्ट/ AAI, Chennai Airport